

संलग्नक - 5/1 लगायत 5/67

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संबन्धित है। अतएव मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवायें)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को वापस प्रेषित किया जावे। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 25.07.2019 को उपस्थित हों।

(पीठासीन अधिकारी)
 भू० अ० पुनर्वा० एवं पुनर्व्य० प्राधिकरण,
 कानपुर नगर।

16-8-19

आज यह पत्रावली मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवायें) दिनांकित 16 मार्च 2019 के अन्वये मा० अ० पुनर्वा० एवं पुनर्व्य० प्राधिकरण कानपुर नगर से वापस प्राप्त की गई है। इसे रिजल्ट के अन्तर्गत मुनबाई/निहालाण एड० के 19-9-19 को प्रेषित किया जाये।

Sd/- [Signature] Secy. S.T.

19/09/19 - मुकामपर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत कंपनी का स्थान उपयुक्तपत्र विद्यमान है। वस्तु अग्रिम अंश दिनांक 27/09/19 को प्रेषित है। अग्रिम अक्सर किया जा रहा है।

[Signature]
 16-8-19

19/09/19

27/09/2019 - मुकामपर डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हैं। निर्णीत कंपनी उपयुक्त नहीं है। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत नहीं। न्यायहित में निर्णीत कंपनी को एक अन्तिम अक्सर प्रेषित जा रहा है। वस्तु अग्रिम अंश दिनांक 01/10/2019 को प्रेषित है।

27/09/2019

वापस - निर्णीत कंपनी भी उपयुक्त

8
 ह) निर्मित कच्ची न स्याम परिनापन
 19 लव दमवील करके निवेदन किया
 है कि डिप्टी कमिश्नर जमा करने हेतु
 स्याम देने की कृपा की जमा
 डिप्टी कमिश्नर के विद्वान आधी वक्ता
 में अधीक्षण अभियन्ता श्री दिनश
 कुमार को रोक कराने की याचना
 किया है। न्यायालय में निर्मित
 कच्ची को स्याम परिनापन 19 लव
 स्वीकृती वाले अग्रिम आदेश
 दिनांक 01/10/2019 को पेश हो
 विपत तिथि के पूर्व डिप्टी कमिश्नर
 अवश्य जमा किया जमा

23/09/2019

Handwritten signature

Handwritten signature
AVASHIKA

17/10

इजरा संख्या 5/2016

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 20ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 21ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीत ऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिकी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायहित में डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी के आवेदन 20ख एवं 21ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

Refused to answer.

10/10/2019
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0,एक्ट,

कानपुरनगर।

10/10/19

पेश हुआ बिफरी प्रत्येक बिफरी
सीडी से 90 पत्र प्रस्तुत करने
से गडी वास्ते 21/12/18 दिनांक
11/10/19 दिनांक

11
To
Bifari
17/10/19

11/10/2019 - पुकार पर पक्षकार उपस्थित हो
उभयपक्ष के आवेदन 20ख पर
सुना आदेश देते दिनांक 17/10/2019
को पेश हो

17/10/2019

11/10/2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या--135/70 सन 1998)

सोमेश्वर

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 22ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिजीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदक्रम में प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के

निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारि-
 आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण
 परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध
 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने
 का निर्णय लिया गया जिस क्रम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के
 साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल
 किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा
 तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने
 हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल
 सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय
 उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके
 माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने
 की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन पर डिकीदार की ओर से लिखित आपत्ति 23ग के माध्यम से प्रस्तुत
 करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश
 आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-214/2016 उत्तर
 प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय
 द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है तथा न्यायालय की डिकी दिनांक 10.03.
 2016 को बहाल रखा गया। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.
 10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश
 आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर
 नगर का हलावा दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रूपये प्रति गज के हिसाब से
 प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च
 न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को
 खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध
 दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक
 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल
 प्रथम अपील संख्या-214/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश
 सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा
 विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम
 सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय के उपरान्त ही माननीय उच्च

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसलिये इनका यह कहना कि विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स वाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करना एक बहकावा है और वाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील-214/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर में ऋणी ने अपने अपील वाद में ब्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ वाद संख्या-135/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिक्रीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञापत किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्रीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 22ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 22ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 22ग निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

17/10/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

*25/10/2019 - मुकाम पर पेशकार उपस्थित है
आवेदन 28 ग पर आपसी अमानित
हो वास्ते आपसी निलम्बण
आवेदन 28 ग दिनांक 02/11/19
को पेश है*

*25/10/19
R.P. Jaiswal
J.P.*

2-11-19

*आवेदन 28 ग पर पेशकार उपस्थित है
प. न. मुद्दे 28 ग पर आपसी अमानित
आवेदन निलम्बण हेतु दि. 5-11-19 को
पेश है*

SAL Judge & ST

*5/11/19
R.P. Jaiswal
J.P.*

5-11-19

*आवेदन 28 ग पर पेशकार उपस्थित है
नहीं है आपसी अमानित आवेदन 28 ग
पर निलम्बण हेतु दि. 7-11-19 को पेश है*

SAL Judge & ST

7/11/19

7-11-19

*आवेदन 28 ग पर पेशकार उपस्थित है
आवेदन निलम्बण हेतु दि. 11-11-19 को पेश
है*

SAL Judge & ST

*11/11/19
R.P. Jaiswal
J.P.*

19/11

Ex.No - 3/2016

24/05/15

11/11/2019 - पुक पर पेशकाम उपस्थित रहे।
निर्णय कटोरी का परामु परिभाषित
26 ली गुठ 500/- सपन हरी
पर (बीकन) काल मुन्दाह
दिनांक 13/11/19 को पूरा हो
असमय यकाम हिया मला ह

Rajesh
B. J. V. P.

11/11/19
13/11/2019 - पुक पर पेशकाम उपस्थित रहे।
किपडी डीका डाल, आपसी 27ग
दमकल कोप समासुमिपल आकेग
दिनांक 19/11/2019 को पूरा हो
13/11/2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-135/70 सन 1998)

सोमेश्वर

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 25ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिक्रीदार ने आवेदन 27ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग में वर्णित आधार एक समान हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि में निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा दाखिल आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण आज दिनांक 19.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि निस्तारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 25ग-2 निरस्त

किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

Rajendra
26/11/19

19/11/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश / एस0सी0एस0टी0, कानपुर नगर।

इजरावाद संख्या-03 / 2016

सोमेश्वर.....बनाम.....उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपस्थित। निर्णीतऋणी नं0-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं0 29ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.11.19 के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।

उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 28ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिक्री धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी नं0-2 के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतऋणी नं0-2 द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 19.11.19 को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर स्थगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 29ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 29ग अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 05.12.19 को पेश हो। निर्णीतऋणी नं0-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगनादेश हो तो दाखिल करे, अन्यथा डिक्री की धनराशि का भुगतान करे।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
26/11/19
28/11/2019

27
12

(Handwritten signature)
26/11/2019
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश / एस0सी0एस0टी0,
कानपुर नगर।

दिनांक 07.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 31ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घोर आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 मे दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 31ग मु0 500/-रूपये हर्ज पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

[Handwritten signature]
2/12/19
J-2 II

[Handwritten signature]
07/12/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016**दिनांक 16.12.2019:-**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 32ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुये है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 में आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीत ऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीत ऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिक्रीदार की ओर से शपथपत्र 33ग के माध्यम से निर्णीत ऋणी का बैंक खाता प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि निर्णीत ऋणी का बैंक एकाउण्ट कुर्क करके डिक्रीदार का डिक्रीधन दिलाया जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीत ऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 32ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि निर्णीत ऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 32ग पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीत ऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 32ग प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीत ऋणी को एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीत ऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 32ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।


(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

04/01/2020

निष्पादन वाद संख्या-3/2016**दिनांक 23.12.2019:-**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणी उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी सुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है, परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा व ाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करके निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिक्रीदार की ओर से शपथपत्र 36ग के माध्यम से विपक्षी का बैंक खाता प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउन्ट कूर्क करके डिक्रीदार का डिक्रीधन दिलाया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 34ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

13/01/2020

सिमाना-201,
पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए।
वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।
2-1-20

24/12/19
24/12/19
24/12/19

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 04.01.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 36ग समर्थित शपथपत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिक्रीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1973 व धारा-32 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 27.02.1980 को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख याचिका संख्या-10965/1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एस0एल0पी0 संख्या-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 12.08.1993 को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-6 की विज्ञप्ति के वर्ष 1980 में प्रचलित बाजार मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-4 जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-28 के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.1973 को हुआ था को काल्पनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष 1980 में धारा-6 की विज्ञप्ति की तिथि 27.02.1980 को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 को डिक्रीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 12.08.1993 से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-162/70/1992 में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 28.05.1998 के आधार पर वर्ष 1980 में प्रचलित रूपये 72.00 प्रति वर्गगज की दर से बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु 12 प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक 27.02.1980 के स्थान पर दिनांक 17.02.1973 से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23(1-ए) के विपरीत है। डिक्रीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि 162/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिक्री के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के रामक्ष प्रथम अपील संख्या डी-214/2016 प्रस्तुत की थी जिसमें 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक 17.02.1973 के स्थान पर दिनांक 27.02.1980 से दिलाये जाने की माँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस माँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रिव्यू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। न्यायालय के सम्मुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रिवीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिवीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिक्रीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिक्रीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूँकि डिक्रीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजार मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-सन्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्की दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित रिव्यू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने की कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतऋणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतऋणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 36ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 36ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम)
04/01/2020

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

8-1-20

आज डिस्ट्रिक्ट डाय अमीन हेतु
घरदी की गयी आदेश हुआ
कि निम्न विधि हेतु अमीन परवाना
जारी हो।

महाराजगंज
महाराजगंज
महाराजगंज
महाराजगंज
महाराजगंज

13/01/2020 - पुनः प्रारंभित आवेदन है निर्णीत
करके उपस्थित नहीं है अमीन ने की आया
गएत नहीं किया है अमीन को जारी
की यथा है।
13/01/2020

दिनांक 18.01.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी द्वारा डिकी धनराशि अदा नहीं किया गया है। मौखिक रूप से निर्णीत ऋणी के विद्वान अविक्ता एवं पैरोकार द्वारा कहा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि न्यायालय के आदेश से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। अमीन ने आख्या दिया है कि निशानदेही न होने के कारण वारण्ट का तामीला नहीं हो सका। पुनः वसूली वारण्ट जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन किया जाय। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 29.01.2020 को पेश हो।

*दुप्रीन पलाना मफ आख्या
वापस करवा 29/01/20*

*Prakash
18/01/20*

*S
20/1/20*

18/01/2020
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

23/20

*आज दिनांक 23/01/20 को
पैरोकार को गिरा। फाइल दुबारा
निष्पत्ति हेतु जाई है।*

sh/sudya/23/20

*04/02/2020
Prakash
18/01/20*

29/1/20

*फाइल अधिवक्ता को
त्यापिकार्षिक विवरण हेतु
पूर्व दिशा न्यायालय से वास्ते
अग्रिम पेश हेतु 25/1/20
पैरोकार*

sh/sudya/29/01/20

सालांक 5/13

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। अमीन द्वारा जारी वसूली वारण्ट के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

~~काजरी पक्ष~~
5/2

~~काजरी पक्ष~~
~~अग्रिम पक्ष~~
10/2/20

~~04/02/2020~~
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट),
कानपुर नगर।

साल 2020 - 5/14

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 10.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिक्रीदार की तरफ से आवेदन 39ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिक्रीधन मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रुपये 1,26,43,252/-को कुर्क करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्री धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था। अदालत अमीन की आख्यानुसार निर्णीत ऋणी के कर्मचारी द्वारा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में ड्यूटी लगी होने के कारण लखनऊ गये हुये हैं। उनकी ड्यूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार का आवेदन 39ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या-273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर कुर्क किये जाने योग्य है।

आदेश

डिक्रीदार का आवेदन 39ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या-273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

पत्रावली को पेश किया गया
सेवा-18/2-20

So.
Seen
Rajhans
11/2

24/02/2020
Rajhans

Sp. Judge. ce/57-111
Ex. 3/16

18/02/2020 - गुजर कर डिक्लीयर उपस्थित हो
निर्णीत बरती उपस्थित नहीं हो के
की आयु कमिशन हो आवेदन
प्राप्त करीकत करके अग्रिम प्रक्रिया
दिलीके 24/02/2020 को प्रशा हो

18/02/2020

सदरमं - 5/15

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 24.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिक्रीदार की तरफ से आवेदन 43ग एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंध्रा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिक्री का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऋणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतऋणी का सिविल रिवीजन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।


(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 27.02.2020:-


पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 45ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिक्रीधन स्वीकृत होना है। डिक्रीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिक्रीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिक्रीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 45ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 45ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।


(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

सलगनक- 5/16

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 03.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 46ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिक्रीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिक्रीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 46ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 46ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

03/03/2020

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्रीध स्वीकृत हो चुका है। डिक्रीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

17/03/2020

16/3/20

21/3/20
MP

3/4

पराइसा/ अधिवक्ता (ग) न्यायिक कार्य
से विरत हो जाने अग्रिम आदेश
दि 17/3/20 से पराइसा
Sp. JUDGE - S.C./S.T.
KANPUR NAGAR

शुक्रवार - 5/17

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिक्रीदार एवं निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

17/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। निष्पादन वाद संख्या-4/2020 में मु0 35,42,636/-रूपये डी0डी0 संख्या-208629 जमा किया जा चुका है। इस इजरा वाद में भी इसी माह के अन्त तक डिक्री धनराशि जमा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में डिक्रीधन जमा करने के लिये कम से कम 15 दिन का समय देने की कृपा की जाय। जिस पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाता है। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।

21/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

27320
19-4-20
30520
29720

नोबिस 2019 के काल न्यायालय
वाच रहा है। दिनांक 02-4-20 वाच
सुनवाई पेश है।

2/9/20

श्री Justice S. S. Yadav -

17-8-20
श्रीमान श्री
DD 20887 दिनांक 20
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
मु0 1204933=00 हय
न्यायालय में प्रथम दिनांक 18/8/20
जिसमें SB9 विद्वान श्रीमान
ने दिनांक 18/8/20 को
पत्रावली पेश की है।

आज विद्वान 30 प्र0 आकास विकास
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
के साथ प्रस्तुत हुआ। आदेश हुआ कि
K. O. F.

श्री Justice S. S. Yadav

सलमंक - 5/10

[1]

न्यायालय विशंष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कानपुर नगर।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1547/74 सन 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि

प्रतिज्ञापि आदेश दिनांक 19.11.2019

अन्तर्गत धारा-47 सी.पी.सी.

विरुद्ध इजरा संख्या- 3/2016.

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद-135/70 सन् 1998 सोमेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञापिधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा-3/2016 के मूल वाद-135/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन् 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 सी.-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञापि के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की बाजारू दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञापि धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा अनुतोष देने व आदेश

पारित करने हेतु स्वयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण माननीय निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञापित धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञापित दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम् उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञापित को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञापित जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की गयी गयी उपधारणा एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों-161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992 क्रमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञापित दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञापितधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापित दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत् पारित है। "याचीगण के भू-सन्दर्भ वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर-1/6,2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारू कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा उक्त बाजारू कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी बढ़ी हुयी एक्सेस प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत ब्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस०एल०पी० ओ० द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्यापित अधिकारी कानपुर



नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद 161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य के निर्णय दिनांक 28.05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ0प्र0 आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एवं जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीकृत सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992, 162/70 सन् 1992, 163/70 सन् 1992 क्रमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग फ्रेस सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0सी0 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/- बहत्तर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रादेशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज न्यायालय द्वारा वृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर ब्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आज्ञप्त थे, यथावत चलाए हुये और तदनुसार ही इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय अज्ञप्ति में माननीय न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने का अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम

न्यायालय की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2016 में इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, को धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है। अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त केस में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा-6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02.1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार वृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी उपधारणा की विद्यमानता

में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविधानों के विपरीत व उसके असंगत होने व असम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत वृद्धि की गयी बाजारी कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज्ञापिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश पारित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित आज्ञापिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी नम्बर-289 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा 0 बिस्वांसी का आपत्तिकर्ता निर्णीत ऋणी संख्या-2 परिषद को कब्जा दखल अद्यतन प्राप्त नहीं है तथा एस0एल0ए0ओ0 द्वारा दिनांक 23.09.1996 तक 12 प्रतिशत धन की गणना करके त्रुटिपूर्ण प्रतिकर विवरण किया गया है जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि विधिक दृष्टि से नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में आज्ञापिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी खसरा नम्बर-65 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 0 बिस्वांसी कब्जा दिनांक 04.01.1985 खसरा नम्बर-71 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 0 बिस्वांसी कब्जा दिनांक 04.01.1985 दोनों का कुछ भाग आज्ञापिधारक द्वारा विक्रय कर दिये जाने एवं शेष अनाधिकृत निर्माण होने के कारण भुगतान किया जाना उचित नहीं होगा, जिसके कारण इजराय वाद हाजा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि विधिक दृष्टि से विधिविरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है; इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा आज्ञापिधारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञापि को धारा-6 की विज्ञापि के प्रकाशन की तिथि/वर्ष का माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित है तथा जिनको सन्दर्भ वाद

संख्या-161/70 सन 1992 राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसत होने के बाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञापति, विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञापतिधारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय आज्ञापति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिक्रीदार सोमेश्वर द्वारा आपत्ति 11ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रूपये प्रति वर्गगज निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाभ धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेषित संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं ए0डी0एम0 एल0ए0 (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिक्री है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिक्री नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आराजी

संख्या-200 रकबा-7 बिस्वा, आराजी संख्या-289 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से अरुण पाण्डेय का 6 बिस्वा व मनोरमा देवी का 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड़ व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आराजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान का कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेंस वाद के दौरान इस तरह की कमी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस0एल0ओ0 द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त आराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं मिला है, गलत असत्य है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिक्रीदार के पक्ष में हुआ। डिक्रीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-11697, 11398, 11699 सन् 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस0एल0पी0 खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन् 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिक्रीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेंस वाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयी धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया और धारा-47 पर पुनः उसी बिन्दु को लेकर समय बर्बाद कर रहा है और डिक्रीदार का डिक्रीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिक्रीधन जमा

करने में हीलाहवाली व समय बर्बाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाय।


आवेदक/निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिक्रीदार सोमेश्वर के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार सोमेश्वर द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ वाद संख्या-135/70/1998 सोमेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था जिसमें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा डिक्रीदार का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिक्रीदार द्वारा निष्पादन वाद संख्या-3/2016 सोमेश्वर बनाम स्टेट आदि दिनांक 22.10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष व आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद



[9]

कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्रीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसा स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर स्थगन आवेदन 22ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित



मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिट्यू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 22ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 22ग दिनांक 17.10.2019 को निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें। तदुपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/-रूपये प्रतिवर्गगज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.2980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपधारित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा वाद हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय आ आज्ञाप्ति निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 0 ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड़ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया

[11]

संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता मात्र डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

20/11/19

20/11/19

(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
कानपुर नगर।

प्रतिनिधी आदेश दिनांक 19.11.2019
अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया
साहिता ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कानपुर नगर।

विरुद्ध इजरा संख्या-5/16

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1548/74 सन 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-3गं अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया साहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद-137/70 सन् 1998 अरुण कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञापिधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा-5/2016 के मूल वाद-137/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन् 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0सी.-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञापि के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की बाजारू दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञापि धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा

अनुतोष देने व आदेश पारित करने हेतु स्वयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से विधिविरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञापति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञापति दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञापित को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञापित जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की उपधारणा की गयी एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों-161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञापति दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञापतिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत् पारित है "याचीगण के भू-सन्दर्भवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर-1/6.2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रतिवर्गगज की दर से बाजारू कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा उक्त बाजारू कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी चढी हुयी एक्सेसः प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत ब्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस०एल०ए० ओ० द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्यापति अधिकारी कानपुर

नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य के निर्णय दिनांक 28.05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ0प्र0 आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एव जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीकृत सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992, 162/70 सन् 1992, 163/70 सन् 1992 क्रमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक वादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग केस सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0सी0 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/-बहुत्तर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज न्यायालय द्वारा वृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर व्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आज्ञप्त थे, यथावत बहाल हुये और तदनुसार ही इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने के अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय

की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2013 में इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा 6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02.1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार वृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी अवधारणा की विद्यमानता में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविधानों के विपरीत व उसके असंगत होने व ससम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत वृद्धि की गयी बाजारी

संख्या:- 5/26

[5]

कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज़ाप्तिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश पारित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज़ाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज़ाप्ति दिनांक 10.03.2016 में समाहित आज़ाप्तिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा 0 बिस्वांसी दोनों का आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 परिषद को कब्जा दखल अद्यतन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतिकर भुगतान नहीं किया जाना है जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय, आज़ाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज़ाप्तिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत निर्णय आज़ाप्ति दिनांक 10.03.2016 को सन्दर्भ न्यायालय द्वारा आज़ाप्ति धारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित है तथा जिसको सन्दर्भ वाद संख्या-161/70 सन 1992 राजाराम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त होने के बाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज़ाप्ति, विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञाधिकारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिक्रीदार अरुण कुमार द्वारा आपत्ति 11ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रूपये प्रति वर्गगज निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाभ धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेषित संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं ए0डी0एम0 एल0ए0 (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिक्री है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिक्री नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आराजी संख्या-200 रकबा-7 बिस्वा, आराजी संख्या-289 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से अरुण पाण्डेय का 6 बिस्वा व मनोरमा देवी का 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड़ व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आराजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान का कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेन्स वाद के दौरान इस तरह की कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस0एल0ओ0 द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त आराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं मिला है, गलत असत्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर



प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिक्रीदार के पक्ष में हुआ। डिक्रीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-11697, 11698, 11699 सन् 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस0एल0पी0 खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन् 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिक्रीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेन्स वाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयी धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया और धारा-47 पर पुनः उसी बिन्दु को लेकर समय बर्बाद कर रहा है और डिक्रीदार का डिक्रीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिक्रीधन जमा करने में हीलाहवाली व समय बर्बाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक/ निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिक्रीदार अरुण कुमार आदि के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार अरुण कुमार द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ वाद संख्या-137/70/1998 अरुण कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण

को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को डिक्रीदार का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिक्रीदार द्वारा निष्पादन वाद संख्या-5/2016 अरुण कुमार बनाम स्टेट आदि दिनांक 22.10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्रीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर स्थगन आवेदन 24ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद

उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रुपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिब्यू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 24ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 24ग दिनांक 17.10.2019 को निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास

विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें। तदुपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञापति दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/-रूपये प्रतिवर्गगज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.2980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपधारित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा वाद हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय व आज्ञापति निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 0 ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड़ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता मात्र डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा

सलंगम- 5/29

[11]

प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

Respect
22/11/19

19/11/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
कानपुर नगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एकट, कानपुर नगर।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1549/74 सन 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि

प्रतिनिधि आदेश दिनांक 19.11.2019
अन्तर्गत धारा-47 सी.पी.सी.
विरुद्ध इजरा संख्या-4/2016

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद 136/70 सन 1998 राम भरोसे सम्प्रति मृतक बादहू विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञापिधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा 4/2016 के मूल वाद 136/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भू-स्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 सी. 11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञापि के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की बाजारू दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञापि धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा अनुतोष देने व आदेश पारित करने हेतु स्वयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से

ही विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञापति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञापति दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम् उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञापित को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञापित जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की उपधारण की गयी एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों-161/70 सन 1992, 161/70 सन 1992, 161/70 सन 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञापति दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञापतिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञापति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत पारित है। "याचीगण के भू-सन्दर्भवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 1/6,2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारु कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा उक्त बाजारु कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी बढ़ी हुयी एक्सेस प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत ब्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस०एल०ए० ओ० द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्यापत अधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद 161/70 सन 1992

212
3

[3]

राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य के निर्णय दिनांक 28.05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ०प्र० आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एवं जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीकृत सन्दर्भ वाद 161/70 सन 1992, 162/70 सन 1992, 163/70 सन 1992 क्रमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग केस सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/- बहत्तर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज न्यायालय द्वारा बृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर ब्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आज्ञप्त थे, यथावत बहाल हुये और तदनुसार ही इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने के अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2016 में इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के

स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दि- जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, को धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा 6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02. 1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार वृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है; आज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी गयी उपधारणा की विद्यमानता में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविधानों के विपरीत व उसके असंगत होने व असम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत वृद्धि की गयी बाजारी कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज्ञप्तिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश पारित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 10.03.2016 को सन्दर्भ न्यायालय द्वारा आज्ञप्तिधारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति



[5]

अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति का धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष का माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित है तथा जिनको सन्दर्भ वाद संख्या-161/70 सन 1992 राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशनर्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त होने के बाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति, विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रकिया सहिता को स्वीकार करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिक्रीदार द्वारा आपत्ति 12ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रूपये प्रति वर्गगज निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाम धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेषित

संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं ए0डी0एम0 एल0ए0 (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिक्री है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिक्री नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आराजी संख्या-200 रकबा-7 बिस्वा, आराजी संख्या-289 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से अरुण पाण्डेय का 6 बिस्वा व मनोरमा देवी का 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड़ व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आराजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान का कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेन्स वाद के दौरान इस तरह की कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस0एल0ओ0 द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त आराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं मिला है, गलत असत्य है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिक्रीदार के पक्ष में हुआ। डिक्रीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-11697, 11698, 11699 सन 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस0एल0पी0 खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिक्रीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेन्स वाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयी धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रिच्यू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया

25/5

[7]

और धारा-47 पर पुनः उसी विन्दु को लेकर समय बर्बाद कर रहा है और डिक्रीदार का डिक्रीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिक्रीधन जमा करने में हीलाहवाली व समय बर्बाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र सख्य निरस्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक/निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिक्रीदार राम भरोसे के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार राम भरोसे द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ वाद संख्या-136/70/1998 राम भरोसे आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था जिसमें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा डिक्रीदार राम भरोसे का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिक्रीदार द्वारा निष्पादन वाद संख्या-4/2016 राम भरोसे बनाम स्टेट आदि दिनांक 22.10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत

करके निवेदन किया गया कि डिक्रीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर स्थगन आवेदन 25ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें गननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिच्यू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च

न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 25ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 25ग दिनांक 17.10.2019 को निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें। तदुपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/-रूपय प्रतिदर्गगज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.2980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपधारित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा बन्द हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय व आज्ञाप्ति निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 0 ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन उग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी

संख्या-2- उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्ग
 धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता मात्र डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित
 करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति
 में निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा
 प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये
 जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा
 प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया
 जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

Ref. A. C. G.
20/11/19

19/11/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
कानपुर नगर।

21-11-19

आदेश परकीर्ण वाद को निस्तारित करने का आदेश
 आदेश दि. 19-11-19 का कामल आउट बनाने
 जाने हेतु प्रस्तुत हुआ आदेश हुआ कि
 permitted.

Sp. Judge sc/ST

22-11-19

आदेश परकीर्ण वाद को निस्तारित करने का आदेश
 आदेश दि. 19-11-19 का कामल आउट बनाने
 जाने हेतु प्रस्तुत हुआ आदेश हुआ कि
 permitted.

Sp. Judge sc/ST

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संबंधित है। अतएव उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवाये)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को वापस प्रेषित किया जावे। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 25.07.2019 को उपस्थित हों।

(पीठासीन अधिकारी)
भू 0 अ 0 पुनर्वा 0 एवं पुनर्व्य 0 प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

16-8-19

आज यह प्रकरण को मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/ एडमिन (सेवाये) दिनांकित 16 मार्च 2019 के अनुसार भू 0 अ 0 पुनर्वा 0 एवं पुनर्व्य 0 प्राधिकरण कानपुर नगर से वापस प्राप्त की गई है। इसी प्रकरण को वापस सुनवाई/निष्पत्ति हेतु दि 19-9-19 को पेश है।

Judge S.S.T.

19/09/2019 - पुनर्वापस दिनांक उपर्युक्त
परिपत्र संख्या 21/08/2019
वापस आदेश दिनांक
27/09/19 को पेश है। अतिरिक्त
अवसर दिया जाते है।
19/09/19

19/09/2019

27/09/2019 - पुनर्वापस दिनांक उपर्युक्त
दि 01/10/2019 को पेश है। अतिरिक्त
परिपत्र संख्या 21/08/2019
वापस आदेश दिनांक 01/10/2019
को पेश है। अतिरिक्त
अवसर दिया जाते है।
वापस दिनांक 27/09/2019
दिनांक 01/10/2019 को पेश है।

01/10/2019

Spl Judge Ic/ST/11

Ex. No 4/16

निर्णीत करणी के स्थान प्रार्थनापत्र 22व
 पुस्तक के निवेदन किया है कि
 डिप्टी धन जमा करने के लिए
 एकमात्र बाक भी निधि निपत
 करने की कृपा की जाए। इकीकर
 के विद्वान आधीकरना ने अधीक्षण
 आधीपन्ता श्री विनेश कुमार को
 तालक करने का निवेदन किया
 गया है। न्यायाधीश ने निर्णीत
 करणी को स्थान प्रार्थनापत्र 22व
 स्वीकृत वपुः आदेश जारी
 दिनांक 01/10/2019 को पुरा हो
 निपत निधि के पूर्व डिप्टी धन
 अवश्य जमा किया जाए।
 01/10/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sovainkar

10/10

[Handwritten signature]

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 23ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 24ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नही किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिकी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायहित में डिकीदार एवं निर्णीतऋणी के आवेदन 23ख एवं 24ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

15
27/11/19
27/11/19
11/10
R. K. Singh
17/10/2019

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0,एक्ट,
10/10/2019

कानपुरनगर।

10/10/19 पेश हुआ। अधिवक्ता विरुद्ध डिकीदार
पुकार प्रस्तुत। निलंबित है।
पत्रावली वास्ते 10/10/19 को
नोटिस जारी किया।

11/10/2019 - कानपुर नगर, कल्यानपुर
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता
को सुना। आदेश हेतु दिनांक 17/10/19
को पेश हो।
11/10/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-136/70 सन् 1998)

राम भरोसे

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 25ग प्रस्तुत करते निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिजीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदकम में प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रुपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारण व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिस क्रम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन पर डिक्लीदार की ओर से लिखित आपत्ति 26ग के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-221/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर का हलावा दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रूपये प्रति गज के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या-221/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय

के उपरान्त ही माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसलिये इनका यह कहना कि विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स वाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट्यू दाखिल करना एक बहकावा है ओर वाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील 221/2016 में ऋणी ने अपने अपील वाद में ब्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ वाद संख्या-136/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिक्रीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञापत किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्रीघन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 25ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन, 25ग निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो : निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है। वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

17/10/2019
(स्मश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

25/10/2019 - मुकदमा नं. 5/11/19 का उत्तर
आवेदन 28 ग पर आपसी
अग्रिम हो वास्ते आपसी
निस्तारण आवेदन 28 ग दिनांक
02/11/19 को पेश हो
25/10/2019

Handwritten signature

5/11/19
Handwritten signature

2-11-19

Handwritten text: मुकदमा नं. 5/11/19 का उत्तर
आवेदन 28 ग पर आपसी
अग्रिम हो वास्ते आपसी
निस्तारण आवेदन 28 ग दिनांक
02/11/19 को पेश हो

JAL Judge S.I.S.T

5-11-19

Handwritten text: मुकदमा नं. 5/11/19 का उत्तर
आवेदन 28 ग पर आपसी
अग्रिम हो वास्ते आपसी
निस्तारण आवेदन 28 ग दिनांक
02/11/19 को पेश हो

JAL Judge S.I.S.T

7-11-19

Handwritten text: मुकदमा नं. 5/11/19 का उत्तर
आवेदन 28 ग पर आपसी
अग्रिम हो वास्ते आपसी
निस्तारण आवेदन 28 ग दिनांक
02/11/19 को पेश हो

JAL Judge S.I.S.T

11/11/19
Handwritten signature

संलग्न - 5/39

Ex. No-4/16

Respect.

11/11/19 - पुनरपेक्षकाम उज्ज्वल हे.
विपक्षी वरवीकरी स्थान गरीबपत्र
20 म सुठ 500/- वरवीकरी
पारस्वीकरी वरवीकरी वरवीकरी
दिनेक 13/11/19 कोपेका हो
अतिम वरवीकरी वरवीकरी
11/11/19

13/11/2019 - पुनरपेक्षकाम उज्ज्वल हे.
विपक्षी वरवीकरी वरवीकरी वरवीकरी
30 म वरवीकरी वरवीकरी वरवीकरी
अतिम वरवीकरी वरवीकरी 13/11/19
कोपेका हो
13/11/2019

14
11

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-136/70 सन् 1998)

रामभरोसे

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 28ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिक्रीदार ने आवेदन 30ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग में वर्णित आधार एक समान हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि में दाखिल आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपटित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण आज दिनांक 19.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन 2019 निस्तारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में आवेदन 28ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 28ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीत ऋणी



संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो न्यूनतम तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

Rajnar
20/11/19


20/11/19


(रमेश चन्द-प्रथम) 19/11/2019

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
कानपुर नगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0. कानपुर नगर।

इजरावाद संख्या-04/2016

राम भरोसे.....बनाम.....उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपस्थित। निर्णीतऋणी नं0-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं0 32ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.11.19 के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।


उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 31ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिक्री धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी नं0-2 के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।


पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतऋणी नं0-2 द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 19.11.19 को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर स्थगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 32ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 32ग अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वारंते अग्रिम आदेश दिनांक 05.12.19 को पेश हो। निर्णीतऋणी नं0-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगनादेश हो तो दाखिल करे, अन्यथा डिक्री की धनराशि का भुगतान करे।


26/11/19
JDNIC2


(रमेश चन्द्र-प्रथम) 26/11/2019
विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0,
कानपुर नगर।

दिनांक 07.12.2019:-


पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 32ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।


डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धार आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 मे दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 32ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।


7/12/2019
रमेश चन्द


(रमेश चन्द-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016दिनांक 16.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 36ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 में आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिक्रीदार की ओर से शपथपत्र 36ग के माध्यम से निर्णीतऋणी का बैंक खाता प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउण्ट कुर्क करके डिक्रीदार का डिक्रीधन दिलाया जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 35ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि निर्णीतऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 35ग पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 35ग प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी को एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 35ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

Plaintiff
for Plaintiff

04/01/2020

16/12/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016**दिनांक 23.12.2019:-**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणी उपस्थित है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी सुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करके निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन् 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को अदा करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन

स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 37ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 37ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 37ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।

अमीन को
पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए।
वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।
2-1-20

24/12/19
24/12/19

13/01/2020

23/12/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016

दिनांक 04.01.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निणीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 39ग स-गर्हित शपथपत्र 40ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिक्रीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1973 व धारा-32 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 27.02.1980 को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख याचिका संख्या-10965/1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एस0एल0पी0 संख्या-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 12.08.1993 को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-6 की विज्ञप्ति के वर्ष 1980 में प्रचलित बाजारू मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-4 जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-28 के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.1973 को हुआ था को काल्पनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष 1980 में धारा-6 की विज्ञप्ति की तिथि 27.02.1980 को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 को डिक्रीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 12.08.1993 से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-162/70/1992 में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 28.05.1998 के आधार पर वर्ष 1980 में प्रचलित रूपये 72.00 प्रति वर्गगज की दर से बाजारू मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु 12 प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक 27.02.1980 के स्थान पर दिनांक 17.02.1973 से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23(1-ए) के विपरीत है। डिक्रीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि 162/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिक्री के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या डी-221/2016 प्रस्तुत की थी जिसमें 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक 17.02.1973 के स्थान पर दिनांक 27.02.1980 से दिलाये जाने की माँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस माँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रिव्यू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। न्यायालय के सम्मुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रिवीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिवीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द्र त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिक्रीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिक्रीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूँकि डिक्रीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजार मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-सन्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्की दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित रिव्यू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने की कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतऋणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतऋणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 39ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 39ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम) 04/01/2020

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

8-1-20

आज 13/01/2020 को अमीन को परवाना जारी किया जा रहा है।

13/01/2020 - पुनः परीक्षा के लिए अर्जित हो
निर्णीत करके उपस्थित नहीं है।
अमीन द्वारा कोई आपातपत्र दिये गए
हैं। इन्हें भी वास्तु में अग्रिम अर्जित
दिनांक 18/01/2020 को पेश हो।

आस्था प्र उपाध्यक्ष
मोहन

13/01/2020

13/01/2020

दिनांक 18.01.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी द्वारा डिक्री धनराशि अदा नहीं किया गया है। मौखिक रूप से निर्णीत ऋणी के विद्वान अविक्ता एवं पैरोकार द्वारा कहा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि न्यायालय के आदेश से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। अमीन ने आख्या दिया है कि निशानदेही न होने के कारण वारण्ट का तामीला नहीं हो सका। पुनः वसूली वारण्ट जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन किया जाय। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 29.01.2020 को पेश हो।

Handwritten notes:
पक्षकार उपस्थित हैं।
निर्णीतऋणी के विद्वान अविक्ता एवं पैरोकार द्वारा कहा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि न्यायालय के आदेश से उन्हें अवगत कराया जा चुका है।

Handwritten signature:
R. S. Chandra

Handwritten signature and date:
18/01/2020
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

23.1.20

Handwritten note:
आज डिक्री का पता अमीन पैरवी को गीला आदेश हुआ। डिक्री पत्र भेजा है।

Handwritten signature:
Sh. S. Chandra

Handwritten notes:
04/02/2020
R. S. Chandra
K.P.

29.1.20

Handwritten note:
आधिकारगण-चारित्र्य कार्य से विरतते वरते अग्रिम आदेश दिनांक 04-2-20 को पेश हो।

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। वसूली वारण्ट के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

Court of **ADJ**
Special Judge S.C./S.T. act
Kanpur Nagar

Handwritten notes:
पक्षकार उपस्थित हैं।
5/2

Handwritten signature and date:
04/02/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

Handwritten notes:
वांछी पत्रिका
पत्रिका आदि
पत्रिका
समाप्त
18/02/2020
10/2/20

निष्पादन वाद संख्या-4 /2016**दिनांक 10.02.2020:-**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिक्रीदार की तरफ से आवेदन 43ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिक्रीधन मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रुपये 98,16,723/- को कुर्क करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्री धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था तथा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में डियूटी लगी होने के कारण लखनऊ गये हुये हैं। उनकी डियूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार का आवेदन 43ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर कुर्क किये जाने योग्य है।

आदेश

डिक्रीदार का आवेदन 43ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम)
10/02/2020

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

मैजिस्ट्रेट/न्यायालय कानपुर
18-2-20

Seen /
12/2

24/02/2020

Specimen

Ex. 16 4/16

18/02/2020 - पुकार पर इस्कीयर उपस्थित हैं।
निर्णित कक्षा उपस्थित नहीं हैं। इस्कीयर
का स्वयं उपस्थित 44mm स्वीडन।
वस्तु अग्रिम आदेश दिनांक 24/02/2020
को पेश हो।

27/02/2020

18/02/2020

निष्पादन वाद संख्या-4 /2016दिनांक 24.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिक्रीदार की तरफ से आवेदन 46ग एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंधा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिक्री का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऋणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतऋणी का सिविल रिवीजन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।


(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

दिनांक 27.02.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिक्रीधन स्वीकृत होना है। डिक्रीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिक्रीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिक्रीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।

(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

07/03/2020

संलग्नक - 5/49

1

निष्पादन वाद संख्या-4 /2016

दिनांक 03.03.2020:-


पुकार पर पक्षकार उपस्थित है। निर्णीतऋणी ने आवेदन 49ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिकीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 49ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 49ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।


विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 51ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्रीध स्वीकृत हो चुका है। डिक्रीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 51ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 51ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

17/03/2020

16/3/20

पेरगुडा अधिवक्तागण व्यापिककार्प
सेविरन डी.पत्रावलीवास्ते प्रागित आदेश
दिनांक 17/3/20 सेविरन डी.
Kannpur Nagar

21/3/20

3/4 9/3/20

दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिकीदार एवं निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

17/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

19-3-20

आवेदन 52ग2 व कार्यालय आदेश 53ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न डी0डी0 संख्या-208629 दिनांक 18.03.2020 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कल्यानपुर कानपुर नगर धनराशि मु0 35,42,636/-रूपये पत्रावली में रिकार्ड पर लेकर उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

Special Judge sc/57

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 52ग2 व कार्यालय आदेश 53ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न डी0डी0 संख्या-208629 दिनांक 18.03.2020 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कल्यानपुर कानपुर नगर धनराशि मु0 35,42,636/-रूपये पत्रावली में रिकार्ड पर लेकर उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पत्रावली में बैंक ड्राफ्ट दाखिल करके आवेदन 52ग2 पर आपत्ति दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदन 52ग2 के साथ दाखिल डी0डी0 संख्या-208629 दिनांक 18.03.2020 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कल्यानपुर कानपुर नगर धनराशि मु0 35,42,636/-रूपये को पत्रावली में दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। आवेदन 52ग2 पर आपत्ति आमन्त्रित हो। वास्ते आपत्ति निस्तारण आवेदन 52ग2 दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।

21/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

Ex 4/16

2014
30/5
2017

$$\begin{array}{r} 27.3.20 \\ \hline 29.4.20 \\ \hline 30.5.20 \\ \hline 29.7.20 \end{array}$$

02/9/20

कोविड 2019 के कारण न्यायालय
बन्द रहा है / दिनांक 02-9-20
प्राप्त ज्ञान 5201 - पेशवा

shl Judge sc/w - acd

पत्र
अवर

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संगठित है। अतएव मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवाये)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को वापस धेधित किया जाये। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 27.07.2019 को उपस्थित होंगे।

8 /

(पीठासीन अधिकारी)
भू० अ० पुनर्वा० एवं पुनर्व्य० प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

16-8-19

आज यह न्यायालय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवाये) दिनांकित 16 मार्च 2019 के अनुसार भू० अ० पुनर्वा० एवं पुनर्व्य० प्राधिकरण कानपुर नगर से वापस आता है जो कि 19-9-19 को फेरहाई है।

19/09/19

19/09/19

19/09/2019 - पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्मित कंपनी का स्थान प्राथमपत्र 20व अप्रैल 2019 में स्वीकृत करके निर्मित आदेश दिनांक 27/09/19 को फेरहाई है। अन्तिम अवसर दिया गया है।
19/09/19

27/09/2019 - पुकार पर निर्मित कंपनी उपस्थित हैं। निर्मित कंपनी उपस्थित नहीं हैं। प्राथमपत्र 20व अप्रैल 2019 में स्वीकृत करके निर्मित आदेश दिनांक 27/09/19 को फेरहाई है। अन्तिम अवसर दिया गया है।
वापस

निर्मित कंपनी भी उपस्थित हैं। निर्मित कंपनी नू स्थान प्राथमपत्र 20व अप्रैल 2019 के अनुसार प्रस्तुत करके निर्मित आदेश दिनांक 27/09/19 को फेरहाई है। अन्तिम अवसर दिया गया है।

कोई अन्य विधि या जमा डिपॉजिट
 के विज्ञान आधिकारता द्वारा
 अधीक्षण, अभियन्ता श्री दिनेश
 कुमार को तलक करने की माचना
 की गई है न्यायवित्त में निर्धारित
 कंपनी का अंशदान आकर 21 घं
 स्वीकृत वास्तु अभियन्ता आदेश
 दिनांक 01/10/2019 को पंजाब
 निपत विधि के तहत डिपॉजिट धरारा
 अतिरिक्त जमा की जाए

27/09/2019

Rajesh Kaler

Aracharya

10/10

Rajesh

17/10

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 22ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 23ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीत ऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिकी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायहित में डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी के आवेदन 22ख एवं 23ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

नोटिस जारी
आवेदन 22ख को
स्वीकार किया
गया

10/10/2019
विशेष न्यायाधीश एस0सी0, एस0टी0, एक्ट,
कानपुरनगर।

10/10/19
पेश हुआ विपक्षी आवाज विरुद्ध
डीडीएल 510042 पत्रावली/नकल
रीपटि आपत्ति हेतु माप जाहगुण
पत्रावलीवाले 11/10/19 दिनांक
11/10/19 विशेष करी

11/10/19
Rajhwar
11/10/19

11/10/2019 - पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं।
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता
को आवेदन 24 के माध्यम से
द्वारा दिनांक 17/10/19 को पेश हुआ
11/10/19

17/10/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-137/70 सन 1998)

अरुण कुमार आदि

बनाम उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 24ग प्रस्तुत करते निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिक्रीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदक्रम में प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारण व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित

आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिस क्रम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार की ओर से उक्त आवेदन पर लिखित आपत्ति 25ग के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-220/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरूण कुमार आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर का हलाका दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रूपये प्रति गज के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या-220/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय के उपरान्त ही माननीय उच्च न्यायालय ने



उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसलिये इनका यह कहना कि विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स वाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करना एक बहकावा है और वाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील 220/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार में ऋणी ने अपने अपील वाद में ब्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ वाद संख्या-137/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिक्रीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञापत किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्रीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्री धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिक्री धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिक्री धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 24ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 24ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 24ग निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

Rajendra
(Sd/-)
19/11/19

Rajendra
17/10/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर

25/10/2019 - मुकाम पर पेशवार उपस्थित है।
आवेदन 27ग पर आपत्ति अर्जी-क
के वक्त आपत्ति मिलान आवेदन
27ग डिक्री 02/11/2019 को पेश है।

Rajendra
Sd/-

Rajendra
25/10/2019

2-11-19

मुकाम पर पेशवार उपस्थित है।
पे 10-प्रोडक्ट-प्रकार का पेश है।
5-11-19 के वक्त आपत्ति/मिलान एवं
पेश है।

Sd/- Judge EST

Rajendra
Sd/-
5/11/19

5-11-19

मुकाम पर पेशवार उपस्थित
नहीं है। आपत्ति कारण आपत्ति
काप से मिलान के वक्त आपत्ति/मिलान
है। दि 7-11-19 को पेश है।

Sd/- Judge EST

Rajendra
Sd/-
11/11/19

7-11-19

मुकाम पर पेशवार उपस्थित है।
आपत्ति कारण आपत्ति मिलान
काप से आपत्ति/मिलान है। दि 11-11-19 को
पेश है।

Sd/- Judge EST

Rajendra
Sd/-
19/11/19

P. B. Reddy
A.P.
R. G. Reddy
(S.P.)

11/11/19 - पुकर पर पडाकर उपस्थित हो
निर्देश कंपनी का पत्रानुसार परिपत्र
28 लाख 500/- रुपये हरे प्र
कीकत) वरत युवा
दिनें 13/11/19 को पेश हो
क्षेत्र अकार दिया जात है
11/11/19

13/11/2019 - पुकर पर पडाकर
उपस्थित हो निदेश/उपकार
लाय यापाने 29 लाख 500/-
निर्देशमा पुना) अड्डा हरे
दिनें 19/11/2019 को पेश हो
13/11/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-137/70 सन 1998)

अरुण कुमार आदि

बनाम उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-


पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 27ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार ने आवेदन 29ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग मे वर्णित आधार एक समान हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्णवाद संख्या-1548/74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल आवेदन-3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल आवेदन 27ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 27ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं

विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

Sp/Actt
20/11/19.


(रमेश चन्द-प्रथम) 19/11/2019

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
कानपुर नगर।

संलग्नक - 5/57

1

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0, कानपुर नगर।

इजरावाद संख्या-05/2016

अरुण कुमार.....बनाम.....उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपस्थित। निर्णीतऋणी नं0-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं0 31ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.11.19 के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध रथगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।

उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 30ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिक्री धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी नं0-2 के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतऋणी नं0-2 द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 19.11.19 को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर रथगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 31ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी नं0-2 का आवेदन 31ग अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 05.12.19 को पेश हो। निर्णीतऋणी नं0-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का रथगनादेश हो तो दाखिल करे, अन्यथा डिक्री को धनराशि का भुगतान करे।

Handwritten mark

Handwritten signature and date
26/11/19
JD No2

Handwritten mark
2/12

Handwritten signature and date
26/11/2019

(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0,
कानपुर नगर।

दिनांक 07.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 34ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धोर आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही-किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 34ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

[Handwritten Signature]
7/12/2019
for JD 2

[Handwritten Signature]
(रमेश चन्द-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

दिनांक 16.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 33ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 में आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 33ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि निर्णीतऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 33ग पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 33ग प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी को एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 32ग स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 33ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रापली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिक्री धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

16/12/2019
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

04/01/2020

दिनांक 23.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणी उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी रुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करके निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिक्रीदार की ओर से शपथपत्र 36ग के माध्यम से विपक्षी का बैंक खाता प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउन्ट कुर्क करके डिक्रीदार का डिक्रीधन दिलाया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया 2 तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये : आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को 3

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 34ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।

(स्मेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

2
13/01/2020
निर्णीतऋणी संख्या-2
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कानपुर नगर
24-12-19
JWS DMIC2

24/12/19
JWS DMIC2

24/12/19
JWS DMIC2

13/01/2020

दिनांक 04.01.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णोतकणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 37ग समर्थित शपथपत्र 38ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिक्रीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1973 व धारा-32 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 27.02.1980 को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख याचिका संख्या-10965/1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एस0एल0पी0 संख्या-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 12.08.1993 को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-6 की विज्ञप्ति के वर्ष 1980 में प्रचलित बाजार मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-4 जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-28 के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.1973 को हुआ था को काल्पनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष 1980 में धारा-6 की विज्ञप्ति की तिथि 27.02.1980 को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 को डिक्रीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 12.08.1993 से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-162/70/1992 में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 28.05.1998 के आधार पर वर्ष 1980 में प्रचलित रुपये 72.00 प्रति वर्गगज की दर से बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु 12 प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक 27.02.1980 के स्थान पर दिनांक 17.02.1973 से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23(1-ए) के विपरीत है। डिक्रीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि 162/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिक्री के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 10.03.2016 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या डी-220/2016 प्रस्तुत की थी जिसमें 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक 17.02.1973 के स्थान पर दिनांक 27.02.1980 से दिलाये जाने की माँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस माँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रिव्यू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। न्यायालय के सम्मुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रिबीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिबीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिक्रीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिक्रीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूंकि डिक्रीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजार मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-सन्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्की दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित रिव्यू पिटीशन/रिबीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने की कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि डिक्रीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल कर तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतक्रणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतक्रणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतक्रणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट्यू दाखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतक्रणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतक्रणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतक्रणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतक्रणी का आवेदन 37ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 37ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतक्रणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
 कानपुर नगर।

8-1-20 आज डिकी का डाला पैरकी
 की गयी। आदेश हुआ कि अमीन
 परवाना निगत किये हेतु जाते है।

श्री. रमेश चन्द
 13/01/2020 - मुकाम पर रिट्यू देकर इतिरिक्त ही
 निर्णीत क्रणी उपस्थित नहीं की समीन
 द्वारा कोई आग्रह प्रस्तुत नहीं किया गया है इन्तजार
 की जायेगी। आदेश दिनांक 18/01/2020
 को पेश हो।

2
 21/12/19
 आदेश पत्रावली
 संलग्न है।
Rajendra
13/01/2020

29/01/2020

अमीन पदका नाम अरुण
नाथन 2016/17 सेल-10-1

अरुण
म.प.

अरुण

18/01/2020 - मुकदमा पर पक्षकार उपस्थित
नहीं हो विनिर्दिष्ट कक्षी द्वारा डिफ्टी
द्वारा जारी अज्ञान की विलोपन
प्रोबिक रूप से विनिर्दिष्ट कक्षी के
विद्वान प्राधिकृतता एवं शैक्षणिक
द्वारा कहा गया कि अधीक्षण
आभियन्ता विनिर्दिष्ट कक्षी द्वारा
गुप्तता नहीं किया जा रहा है
प्रमाणिक पक्षी अज्ञान के प्रदर्शन
से उम्मेद अज्ञान कारण जो-युक्त है
अमीन ने आभियन्ता दिया कि मिशनरों की
बे हानि के कारण काल्पना तमीला
वही हो सकता है पुनः कक्षी काल्पना
जाही हो परकी अज्ञान तीन दिन किया गया
कक्षी अज्ञान प्रदर्शन दिनांक 29/01/2020
को पेश हो

18/01/2020

23/1/20

आज डिफ्टी द्वारा अमीन को रवी
को गणित आदेश 347 के निमित्त
लिखे हुए जाते हैं।

Sub Judge S.C.S. -

29/1/20

अभिप्रेत गणन्यायिक कार्य
से विरत हो जाने के अज्ञान आदेश
दिनांक 04-2-20 को पेश करें।

Court of A.D.J./
Special Judge S.C./S.T. act
Kanpur Nagar

04/02/2020
अरुण
म.प.

संख्यांक - 5/63

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतदृष्टी उपस्थित नहीं है। अमीन द्वारा जारी वसूली वारण्ट के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

कमानकान जरी
5/2/20

~~वाजि एजा~~
~~अजि एजा~~
~~अजि एजा~~
10/2/20

~~अजि एजा~~

विशेष न्यायाधीश (एसओसी/एसओटी)एक्ट),
कानपुर नगर।

संख्या - 5/64

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016

दिनांक 10.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिक्रीदार की तरफ से आवेदन 40ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिक्रीधन मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रूपये 1,08,10,703/- को कुर्क करने की कृपा करें।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्री धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था तथा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में डियूटी लगी होने के कारण लखनऊ गये हुये हैं। उनकी डियूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिक्री धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार का आवेदन 40ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर कुर्क किये जाने योग्य है।

आदेश

डिक्रीदार का आवेदन 40ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

10/02/2020
(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

पुरमम न्यायालय
18-2-20

Sib.
Jeev
Raj/jev
12/2

24/02/2020

Spl. Judge Sc/ST.

Ex. 5/16

18/02/2020 - युवा परपत्रिका रिजर्वर उपस्थित
हो निष्पत्ति करणी उपस्थित नहीं
हो रिजर्वर का स्थान प्रथमपत्र
41 ग स्विकृत कास्ते आग्रिम
आदेश दिनांक 24/02/2020 का
पेश हो।

18/02/2020

शुद्ध-5/65

1

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016

दिनांक 24.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 13.02.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंधा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिकी का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऋणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतऋणी का सिविल रिवीजन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।


(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016**दिनांक 27.02.2020:-**

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 45ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिक्रीधन स्वीकृत होना है। डिक्रीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिक्रीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिक्रीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिक्रीदार की डिक्री धनराशि जमा नहीं की जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 45ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 45ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिक्री धनराशि अवश्य जमा करे।

(रमेश चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),

कानपुर नगर।

संख्या - 5/66

1

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016

दिनांक 03.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 46ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिकीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

सभ्यपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 46ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 46ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

03/03/2020

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकीध स्वीकृत हो चुका है। डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

17/03/2020

16/3/20

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

पं. सुजा/अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य
से विरत हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश
हेतु दिनांक 16/3/20 वां पं. सुजा

Judge-S.C./S.T.
Kanpur Nagar

19/3/20

91
3
20

निष्पादन वाद संख्या-5/2016


दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिक्रीदार एवं निर्णीतक्रणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।


 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
 कानपुर नगर।

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतक्रणी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि डिक्री धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। निष्पादन वाद संख्या-4/2020 में मु0 35,42,636/-रूपये डी0डी0 संख्या-208629 जमा किया जा चुका है। इस इजरा वाद में भी इसी माह के अन्त तक डिक्री धनराशि जमा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में डिक्रीधन जमा करने के लिये कम से कम 15 दिन का समय देने की कृपा की जाय। जिस पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निर्णीतक्रणी को डिक्री धनराशि जमा करने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाता है। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।


 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
 कानपुर नगर।

27-3-20
 29-4-20
 30-5-20
 29-7-20

कोर्ट 2019 के फाउण्ड
 न्यायालय व-क रखा है।
 दिनांक 02-9-20 वास्तु
 सुनवाई पेश है।

21/9/20

Sbl Judge SC/SA/ND

17-8-20

श्री. न्यायाधीश
 DO 208870 दि. 11.8.20
 प्रतीपाठक न्यायाधीश
 शास्त्र न्यायालय (कानपुर)
 प्रपु जू- 2986280-004444
 न्यायालय में पेश की
 प्रती है। जिसे SB 3
 दिनांक 188820
 को पेश की गयी।

आज निवेदन 30 प्रपु आवादा दिनांक
 पेश की जा रहे हैं डिमांडल प्रपु न्यायालय
 के साथ पेश है।
 आदेश हुआ कि K.O.F.

Sbl Judge SC/SA/ND